

क़म समय में पैसा दोगुना करने और एकड़ी से कई गुना अधिक ब्याज देने का लालच हमेशा से आम निवेशकों को टगने का आसान हथियार रहा है। मध्य प्रदेश तक पहुंची अरबों रुपये की चिटफंड धोखाधड़ी की जांचने एक बार फिर साबित किया है कि आर्थिक अपराधों के मामले में निवेशकों की जागरूकता के साथ सरकारी निगरानी भी बेहद जरूरी है। सीबीआई और ईडी की जांच की आंच अब जबलपुर तक पहुंची है और सीआईडी को मध्य प्रदेश के चार जिलों से 11 केस डायरिया विवेचना के लिए मिली हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इन मामलों में करीब 1600 निवेशकों से लगभग 42 करोड़ रुपये की टगी की गई है। यह तो केवल उन मामलों की तस्वीर है, जिनकी जांच फिलहाल सामने आई है। बताया जा रहा है कि देश के 17 राज्यों में इस नेटवर्क ने लोगों को अपने जाल में फंसाया। दस सोसायटियों के माध्यम से देशभर में करोड़ों निवेशकों से हजारों करोड़ रुपये जुटाने के आरोप बेहद गंभीर हैं। मध्य प्रदेश में भी दो लाख से अधिक निवेशकों से सैकड़ों

चिटफंड के जाल पर अब निर्णायक कार्रवाई जरूरी

करोड़ रुपये जुटाए जाने की बात सामने आई है .

चिटफंडघोटालों का इतिहास बताता है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई लंबी खिंचने का सबसे बड़ा नुकसान आम निवेशकों को होता है. पश्चिम बंगाल का चर्चित शारदा चिटफंड घोटाला इसका बड़ा उदाहरण है. हजारों करोड़ रुपये के इस घोटाले की जांच और कानूनी प्रक्रिया वर्षों से चलती रही है और बड़ी संख्या में निवेशकों की पूरी रकम अब तक वापस नहीं हो सकी है. इसलिए मध्य प्रदेश के मौजूदा मामलों में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जांच और मुकदमेबाजी के बीच पड़ित निवेशकों की उम्मीद दम न तोड़े. इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू टगी का तरीका है. आरोपियों ने छोटे शहरों और कस्बों में स्थानीय लोगों को मैनेजर और एजेंट बनाया, ताकि निवेशकों में भरोसा पैदा हो. कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा आकर्षक ब्याज का लालच

दिया गया. जब बड़ी रकम जमा हो गई तो कथित रूप से मुख्य कर्ताधर्ता फरार हो गए. यानी टगी की पटकथा योजनाबद्ध तरीके से तैयार की गई थी. और गंभीर बात यह है कि संबंधित सोसायटियों ने कथित रूप से पंजीयन और संचालन के नियमों की भी अनदेखी की.

केंद्रीय सहकारी समितियों के रूप में पंजीयन का लाभ उठाकर अलग-अलग राज्यों में गतिविधियां चलाने और सदस्यों के अलावा अन्य लोगों से धन जुटाने जैसे आरोप सामने आए हैं. यदि ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो सवाल निवेशकों की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि उस नियामकीय व्यवस्था पर भी उठेगा जो इतने बड़े पैमाने पर धन संग्रह होने देती रही. अब जरूरी है कि जांच केवल आरोपियों की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती तक सीमित न रहे. निवेशकों का पैसा वापस दिलाना सबीच प्राथमिकता होनी चाहिए. एजेंटों की

भूमिका, बैंक खातों, संपत्तियों और धन के अंतिम लाभार्थियों की गहराई से जांच जरूरी है. साथ ही राज्यों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान की ऐसी व्यवस्था बने कि एक राज्य में सदियंघ गतिविधि सामने आते ही दूसरे राज्यों को भी तत्काल चेतावनी मिल सके.

निवेशकों को भी असामान्य रूप से अधिक रिटर्न के लालच से सावधान रहना होगा. पैसा दोगुना करने का दावा जितना आकर्षक लगता है, उसमें जोखिम उतना ही बड़ा हो सकता है. सरकार और नियामक संस्थाओं को गांव-कस्बों तक वित्तीय जागरूकता अभियान पहुंचाना चाहिए. चिटफंड घोटाले केवल पैसे की चोरी नहीं होते, वे लोगों की वर्षों की बचत और भविष्य की सुरक्षा छीन लेते हैं. शारदा जैसे पुराने मामलों से सबक लेते हुए अब जरूरी है कि नए मामलों में जांच समयबद्ध हो, दोषियों की संपत्ति से निवेशकों की रकम वापस हो और जिम्मेदार संस्थाओं की जवाबदेही भी तय की जाए. वरना हर नया चिटफंड घोटाला पुराने घाव पर एक और चोट साबित होगा.

सड़क दुर्घटनाओं की चौंकाती हकीकत



ऋपुर्ण दवे

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कमी न आना बेहद दुर्भग्यजनक है. कई वर्षों के आधिकारिक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद आशातीत सफलता न मिलना, कहीं न कहीं सड़क पर चलने वालों की मनोदशा पर भी निर्भर करता है. इसी चलते हर रोज कहीं न कहीं से भीषण सड़क दुर्घटनाओं के दुखद समाचार मिल ही जाते हैं. भारत सरकार की परिभाषा में एक से ज्यादा लोगों की मौत को भीषण सड़क हादसा माना जाता है. सड़क हादसों में बेवजह लाखों जान हर वर्ष जाती हैं.

यदि केवल किसी एक वर्ष के डेटा पर नजर डालें तो काफी चिंताजनक स्थिति है. वर्ष 2023 के आंकड़े ही लें तो दुर्घटनाओं की भयावह तस्वीर उभरती है. इस वर्ष 68783 हिट एण्ड रन मामलों में 31209 मौतें हुई जबकि 54574 लोग घायल हुए. सभी तरह की दुर्घटनाओं का विश्लेषण काफी सोचने और डराने को मजबूर करता है. इसी वर्ष सड़क पर खड़े वाहनों से टकराकर 13810 दुर्घटनाओं में 5662



मौतें और 12575 घायल हुए. पीछे से टकराने की दुर्घटनाओं में 36804 मौतें 107161 घायल हुए. साइड से टक्कर की 73805 घटनाओं में 20623 मौतें और 74017 घायल हुए. सड़क हादसों में बेवजह की 21527 घटनाओं में 10196 लोगों की मृत्यु हुई, 20719 घायल हुए. स्थिर वस्तु से टकराने की 17451 घटनाओं में 8291 मृत्यु और 16416 घायल हुए. जबकि वाहन पलटने की 18905 घटनाओं में 9124 की मृत्यु और 21216 घायल हुए. वहीं आमने-सामने की टक्कर की 84348 दुर्घटनाओं में 28989 की मृत्यु और 89867 घायल हुए. अन्य दुर्घटनाओं में 71298 घटनाओं में 22109 की मृत्यु हुई जबकि घायलों की संख्या 66280 रही.

इस तरह केवल 2023 में 480583 दुर्घटनाओं में 172890 मौतें और 462825 दुर्घटना का शिकार हुए जो अन्य क्षति छोड़कर, मानवीय हैं.

सरकार के सारे प्रयास फेल: सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सरकार के स्तर पर हर वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जाता है. प्रदेश स्तर पर चालानी कार्रवाई पूरे वर्ष होती है, जिसका एक मात्र उद्देश्य लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करना होता है. बावजूद यह सारे प्रयास अब भी नाकाफी दिखाई देते हैं.

व्यक्तिगत लापरवाही बड़ी वजह: आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि

कश्मीरी पंडितों को फिर मिली धमकी

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद वहां बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन पहलगाम के आतंकी हमले से फेली दशक के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पाकिस्तान के आतंकी अड़ों का सफाया कर दिया. इसके बावजूद अब आतंकी अड़ों का पुनर्निर्माण कर लिया गया है. जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर स्थित मरकज सुभानल्ला मुख्यालय 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान तबाह कर दिया गया था, जिसे और भव्य रूप में फिर से बनाया गया है. वहां जिम, आतंकीयों की अंडरवॉटर ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी है. पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे बनाने के लिए 25 करोड़ रुपये दिए. आतंकी सरगना मसूद अजहर और रऊफ असगर को पाकिस्तान सरकार ने सिंध भेज दिया है, जहां उन्हें पूरा संरक्षण दिया जा रहा है. इस दौरान कश्मीर घाटी में रहने वाले हिंदुओं को धमकी भरे 2 पत्र मिले हैं, जिसमें वहां आकर बसे लोगों के मकान नंबर व सड़क के नाम तथा अन्य विवरण हैं. उन्हें धमकी दी गई है कि वह जहां भी जाएंगे, उन पर निगरानी रहेगी. किसी अहमद बिलाल ने पत्र पर दस्तखत किए हैं. जम्मू कश्मीर में वापस लौटे कश्मीरी



कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने का निर्देश दिया.

पंडितों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत विभिन्न विभागों में नौकरी दी गई है. जब धमकी का पहला पत्र मिला तो राज्य सरकार ने इन हिंदू कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने का निर्देश दिया. उन्हें सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी कहा गया. इस दौरान दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में ईंट भट्टे पर काम करने वाले 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई. एक ओर तो सरकार कश्मीरी पंडितों को वापस लाकर घाटी में बसाने का प्रयास कर रही है, दूसरी ओर आतंकवादी उन्हें धमकाते दे रहे हैं.

संपादकीय बोर्ड

प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्पदी

निशानेबाज

हर किसी के अपने सरोकार, सभी का अपना-अपना परिवार

पड़ोसी ने हमसे कहा, 'निशानेबाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम तौर पर कहते हैं 'एक मेरा कोई अपना परिवार नहीं है'. सारे 140 करोड़ भारतीयों की मेरा परिवार हैं. उनकी यह सर्वसमावेशक बात बीजेपी के नेता-कार्यकर्ताओं के दिलों को छू गई. इस आत्मीयता से प्रभावित होकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के साथ 'मोदी का परिवार' लिखना शुरू किया था. यह देश की परिवारवादी पार्टियों को बीजेपी का करारा जवाब था. इसके बाद जब लोकसभा चुनाव में 'अबकी बार 400 पार' का नारा लगाने वाली बीजेपी जब 240 सीटों पर सिमट गई और बहुमत जुटाने के लिए चंद्राबाबू नायडू और नीतीशकुमार की पार्टियों की मदद लेनी पड़ी, तब पीएम मोदी ने अपने पार्टी नेताओं और समर्थकों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 'मोदी का परिवार' का पुछल्ला हटा देने को कहा.'

हमने कहा, 'परिवार का इस तरह बंटोडार होना



ठीक नहीं है. याद कीजिए, पुराने बड़े संयुक्त परिवार में जहां बच्चे-बुढ़े, दादा-दादी, चाचा-चाची उनके बेटे बहुएं मिलाकर एक छत के नीचे 25-30 लोगों का परिवार रहा करता था. हर साल-दो साल में नया मेहमान जन्म

लेता था और पालना हिला करता था. मेहमान आकर ठहर जाते थे और महीने भर से ज्यादा ठिके रहते थे. कुछ दूर के रिश्तेदार भी परिवार में मुंहबोले संबंध का हवाला देकर डेरा जमा लेते थे. खेतों का अनाज आने से खाने की कमी नहीं पड़ती थी. मेहबती और निकम्मे, कमाने वाले और बेरोजगार सभी संयुक्त परिवार में खप जाते थे. घर का एक मुखिया रहता था. उसी का आदेश सभी पर चलता था.'

पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज हमने भी बड़ी जॉइंट फैमिली देखी है, लेकिन अब परिवार का मतलब पति-पत्नी और 2 बच्चे रह गया है. परिवार छोटा और जरूरतें बड़ी हो गई हैं. मजबूत आर्थिक आधार और बेहतर जीवनस्तर हासिल करने के लिए शादी भी काफी दूर से की जाती है. नई पीढ़ी खूब कमाती और भरपूर खर्च करती है. बुजुर्गों की दादागिरी का जमाना बीत गया. अब जो बुजुर्ग बदली परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, वे सुखी रहते हैं.'

शब्द-सागर 12360					- डॉ. सागर खादीवाला				
1	2	3	4	5	ऊपर से नीचे 1. कृष्ण (सं.) 2. पकड़ा हुआ, पीड़ित 3. दूर करना, हटाना, जिसको वस्तु हो उसकी इच्छा के विरुद्ध लेना 4. दूध-दही-ची-चीनी और शूदह मिलाकर देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाने वाला पदार्थ 5. नकली, बनावट, किसी वस्तु में बने छोटे-छोटे छेदों का समूह 9. दुबला-पतला, सूक्ष्म 11. हृदय का स्पंदन 12. झ				